प्र.सं. 6/2019 ग्राम पंचायत भीम व अन्य बनाम पेमा के बजाय कैलाश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीम में आराजी नंबर 14921 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। वादी को तत्कालीन उपजिलाधीश महोदय द्वारा दिनांक 21.01.1975 को साबिक आराजी नंबर 12333 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आंवटित की गयी थी, जिसके हाल आराजी नंबर 14921 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर वादी आज भी काबिज चला आ रहा है। अतः विवादित आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 23.05.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15.01.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से वकील श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि चारागाह होकर पंचायत में वेस्ट होती है। विपक्षी/वादी ने दावा पेश करते समय जानबूझकर ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि प्रार्थी/अपीलान्ट प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इसी आराजी बा[illegible]यालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 [illegible] अपीलान्ट/प्रार्थीगण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:03 IST
Reason: SelfAttested

करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का उन्हें प्रथम बार ज्ञान दिनांक 04.01.2019 को हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने अपील कार्यवाही अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 64/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 51/2016 में आप न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 15.11.2017 को अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 पेमा ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की, जिसके मुकदमा नंबर 7164/2017 होकर विचाराधीन है। एक तरफ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने माननीय राजस्व मण्डल में उक्त अपील प्रस्तुत की जो विचाराधीन होते हुए उक्त तथ्य को छुपाकर अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण राजस्व कैम्प में रखवाकर अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये नया आदेश पारित करवा लिया, जो कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। इसी आराजी बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 64/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 51/2016 प्रस्तुत की गयी थी, जो उभयपक्षों को सुनकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:03 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 15.11.2017 को रिमाण्ड की गयी, जिसकी अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 पेमा ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गयी, जिसके मुकदमा नंबर 7164/2017 है। एक तरफ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने माननीय राजस्व मण्डल में उक्त अपील प्रस्तुत की जो विचाराधीन होते हुए उक्त तथ्य को छुपाकर अधिनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रकरण राजस्व कैम्प में रखवाकर पुनः नया आदेश पारित करवा लिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 64/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विवादित आराजी बाबत् माननीय राजस्व मण्डल में चल रहे प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना में अपीलान्ट पंचायत को प्रतिवादी के रूप में संस्थित कर तथा उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं तहसीलदार को भी सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:03 IST
Reason: SelfAttested